



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 877) पटना, मंगलवार, 3 दिसम्बर 2013

राजस्व पर्षद्, बिहार

अधिसूचनाएं

29 नवम्बर 2013

सं0 3/सी5 नीति (FMFL)—09/2010—7553—बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा—38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए राजस्व पर्षद् यह निदेश देते हैं कि बिहार स्टेट बिभरेज कॉ0लि0 को विदेश में निर्मित बंद बोतलों में विदेशी शराब एवं विदेश में निर्मित बंद बोतलों में वाईन की बिक्री के लिए वितरकता अनुज्ञप्ति उत्पाद प्रपत्र—19ई में होगी तथा विदेश में निर्मित बंद बोतलों में आयातित विदेशी शराब एवं वाईन के बिहार में आयात के लिए पास (उत्पाद प्रपत्र—52घ) में होगा जो इसके साथ अनुबद्ध परिशिष्ट क्रमशः क और ख में निहित है।

राजस्व पर्षद् बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप—सचिव।

परिशिष्ट—क

प्रपत्र—19ई (नियम—6)

विदेश से आयातित बंद बोतलों में (BIO) तथा बंद बोतलों में आयातित वाईन के बी0एस0बी0सी0एल0 को आपूर्ति हेतु वितरकता अनुज्ञप्ति।

सभी संबंधित व्यक्तियों को विदित हो कि आयुक्त उत्पाद की पूर्ण मंजूरी से सर्वश्री निवासी को अधोहस्ताक्षरी समाहर्ता द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन से 31 मार्च तक के लिए बिहार राज्य बिभरेज कॉ0लि0 को बंद बोतलों में आयातित विदेशी शराब एवं वाईन के बिक्री के लिए एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।

1. कि इस अनुज्ञप्ति के रहने की शर्त के दृष्टि से इस अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षित है कि अनुज्ञप्ति के शर्तों के अधीन आयात किये गये विदेश में निर्मित विदेशी शराब बंद बोतलों में एवं विदेश में निर्मित बंद बोतलों में वाईन अधिकृत कस्टम बॉड से करेंगे और इसे अपने अनुज्ञप्ति परिसर में जो संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा अनुमोदित हो बी0एस0बी0सी0एल0 को आपूर्ति करने के लिए संचित करेंगे। समुंद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा भारतीय टेरिफ अधिनियम के उन धाराओं को छोड़कर जो इस पर लागू हैं, उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

2. आयुक्त उत्पाद द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. कि वे अनुज्ञापन वर्ष या उसके किसी भाग के लिए सरकार को प्रति बोतल 3.00 (तीन) रू० विदेश में निर्मित विदेशी शराब (FMFL) एवं 2.00 (दो) रू० प्रति बोतल विदेश में निर्मित वाईन (FMFW) पर अग्रिम अनुज्ञाशुल्क का भुगतान करेंगे।
4. कि वे उन सभी नियमों का पालन जो भारत में आयात और परिवहन के लिए विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन के आयात से संबंधित भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम और भारतीय टेरिफ एक्ट के प्रावधानों का पालन करेंगे।
5. कि वे अपने अनुज्ञप्ति परिसर से किसी व्यक्ति को विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन को पीने की अनुमति नहीं देंगे।
6. कि वे बिना पारक के विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन का आयात नहीं करेंगे।
7. कि वे बिना राज्य सरकार को शुल्क / पारक शुल्क यथा राजस्व पर्षद द्वारा निहित नियम के पूर्ण भुगतान के विरुद्ध बिना आयातित विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन का आयात अपने वितरकता अनुज्ञप्ति परिसर में नहीं करेंगे।
8. कि वे अपने अनुज्ञप्ति परिसर में विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन के प्राप्ति एवं बिक्री का लेखा संधारित करेंगे।
9. विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन का आयात और बिहार राज्य में बिना उत्पाद आयुक्त के द्वारा लेबल के निबंधन या नवीकरण के बिना नहीं करेंगे।
10. विदेशी में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन पर अनुज्ञाधारी एक अलग गोंद लगे स्टीकर पर वैधानिक चेतावनी लाल रंग से "शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" एवं अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करेंगे।
11. किसी भी स्थिति में विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन के शक्ति तथा बोतल में परिवर्तन नहीं करेंगे।
12. अनुज्ञप्ति परिसर में संचित विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन के आग चोरी या किसी भी कारण से हुई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
13. बिना संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा निर्गत पारक के विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन का परिवहन नहीं करेंगे।
14. कि वे अपने अनुज्ञप्ति परिसर में पदस्थापित तथा बिना पदाधिकारी द्वारा जारी पास के विदेश में निर्मित विदेशी शराब और विदेश में निर्मित वाईन का निर्गमन नहीं करेंगे।
15. उपरोक्त किसी भी शर्त या उत्पाद अनुज्ञप्तियों में लागू शर्तों में से व्यक्तिगत के लिए इस अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति के सम्पहरण तथा विधि या नियम द्वारा विहित किन्हीं शास्तियों या शास्ति के लिए दायी होगा।

समाहर्ता।

प्रतिलेख—एकरारनामा

मैं उपर वर्णित अनुज्ञाधारी इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तों के निर्वहन और उसका पालन करने के लिए स्वयं और वारिसों विधि प्रतिनिधियों और समुनिदेशितियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्ध करता हूँ।

हस्ताक्षर।

परिशिष्ट—ख

प्रपत्र—52डी.

मूल / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ प्रति।

भारत के बाहर निर्मित बंद बोतलों में आयातित विदेशी शराब एवं वाईन के बिहार राज्य में आयात जो भारतीय समुद्र पार सीमा शुल्क अधिनियम एवं भारतीय टेरिफ अधिनियम के तहत किया जाता है, के लिए पास।

1. जिला
2. पास का क्रमांक
3. निर्गमन की तिथि
4. आयातक का नाम और पता
5. विवरण एवं मात्रा विदेश में निर्मित विदेशी शराब एवं वाईन के आयात..... से अनुज्ञप्त परिसर तक।

आयात किये जानेवाले विदेशी शराब और वाईन का नाम	अल्कोहल की मात्रा तथा प्रतिशत।	भिन्न-भिन्न प्रकार के बोतलों की संख्या	कार्टून की संख्या	मात्रा एल०पी०लीटर में

6. अधिरोपित लिटरेज फी की दर।
7. लिटरेज फी की राशि रू० जो चालान संख्यादिनांक..... द्वारा कोषागार में जमा की गई है।
8. पारक की मान्यता अवधि
9. निर्यातकर्त्ता को पारक उपस्थापित करने की तिथि
10. पारक पर निर्गमन की तिथि

आयात किये जानेवाले विदेशी शराब और वाईन का नाम	अल्कोहल की मात्रा तथा प्रतिशत।	भिन्न-भिन्न प्रकार के बोतलों की संख्या	काटून की संख्या	मात्रा एल०पी०लीटर में

11. निर्यातकर्त्ता परिसर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
12. पदनाम।
13. गंतव्य स्थान पर पहुँचने की तिथि एवं समय।
14. गोदाम में रखी गई मात्रा

समाहर्त्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी शराब एवं वाईन (मूल स्थान पर बोतलों में बन्द) पारक सं० एवं तिथि द्वारा निर्गत निम्नांकित मात्रा एवं प्रकार में प्राप्त हुआ।

अनुज्ञप्ति परिसर के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

The 29th November 2013

No. 3/सी५ नीति (FMFL)–09/2010-7553—In exercise of the power conferred by section 38 of the Bihar Excise Act 1915, the Board of revenue is please to direct that Distributors license For the Sale of Bottle in Origin (FMFL/FMFW) to the BSBCL of sale to Trade Licence in Excise Form and Pass for importing into Bihar FL/FW manufactured outside India shall be imported in Bottle in Forms 19E and import permit Forms (52D) contained in appendix 'A' and 'B' respectively annexed to this Notification.

By order of the Board of Revenue, Bihar

Sd/-Illegible,

Deputy Secretary to Government.

APPENDIX 'A'

Form No. 19E (Rule 6)

Distributor license for the sale of imported bottle in origin (Foreign Liquor) and bottle in origin Wine for supplying to the BSBCL

be it known to all concerned that the sanction of Excise Commissioner, Servshri----- resident of ----- is hereby authorized by the countersigned Collector for the sale of FMFL and FMFW to the Bihar State Beverages Corporation from----- to ----- under the following conditions :-

1. That is required to the holder of this license as a condition of its remaining import that he shall import FMFL and FMFW from authorized custom bond and keep the same in the license premises approved by the Collector of the concern district for its sale to the BSBCL, save and except the provision of Sea customs Act., Indian Tariff Act, he shall abide by the provisions of Bihar Excise Act.
2. That he shall abide by all general or special order which may be issued by the Excise Commissioner from time to time.

3. That he shall pay in advance Rs 3.00 (Rupees Three) per bottle for FMFL and Rs. 2.00 (Rupees Two) per bottle for FMFW to the Government of Bihar for licensing year or a part thereof.
4. That he shall comply with all the rules relating to import and transport of FMFL and FMFW in respect of Indian Custom Act and Indian Tariff Act.
5. That he shall not sell FMFL and FMFW to the public nor shall he permit consumption of such liquor/wine in his license premises.
6. That he shall not obtain FMFL and FMFW without a permit as prescribed rules for the import and transport in this behalf.
7. No FMFL and FMFW shall be imported in the State unless the state permit fee at the rate fixed/prescribed by the Board of revenue is prepaid by the importer of the holder of Distributorship license.
8. That he shall maintain correct accounts of all FMFL & FMFW received in and issued from the licensed premises.
9. No brand of FMFL and FMFW shall be imported and sold in the State of Bihar unless its label is approved as registered by the Excise Commissioner.
10. Each bottle of FMFL and FMFW shall be pasted by the license with a separate adhesive sticker in which Statutory warning **“Drinking Liquor is injurious to health”** in red ink and its MRP shall be printed.
11. No change in pack size and strength of FMFL and FMFW shall be allowed at any sale point.
12. That the Government of Bihar shall not be responsible for the destruction, loss or damage by fire, theft or any other cause whatsoever to the FMFL and FMFW stored in the licensed premises.
13. That he shall not issue FMFL and FMFW except on a permit issued by the Collector of the district into which the FMFL and FMFW is intended to be transported.
14. That he shall not issue FMFL and FMFW except in the presence of the officer-in-charge of the licensed premises and except under a pass issued by such officer-in-charge.
15. In-fracture of any of the above conditions or the general conditions applicable to Excise Vend Licences will subject the holder of this licence to forfeiture of the licences and to all or any of the penalties prescribed by law or rules.

Date
Collectorate

Collector

COUNTERPART AGREEMENT

I----- the above named license for myself and my heirs, legal representative and assignees hereby agree to and bind myself to perform and observe all the terms and conditions hereinbefore written and expressed.

Date-----

Signature of the Licensee

APPENDIX 'B'

FORM 52-D

Original/Duplicate/Triplicate/Quadruplicate

Pass for importing into Bihar foreign liquor and wine Bottled in Origin (BIO) i.e., manufactured outside India and the entry of which has been allowed into India under Seas Customs Act / Indian Tariff Act,

1. District.
2. Serial Number of Pass
3. Date of Issue
4. Name and address of importer
5. Description and quantity of the foreign liquor and wine to be imported from..... to the licensed premises at.....

Brand Name of Foreign liquor and wine Bottled in Origin	Alcoholic Content	No. of bottles of different sizes.	Number of Packages	Quantity in L.P. Litres.

6. Rate of Literage fee levied.
7. Amount of Literage Fee Rs. paid by Challan No..... date..... at the treasury/Sub-treasury.....
8. The pass is current for
9. Date of presentation of pass at the place of export specified in 5 above.
10. date of issue of foreign beer.

Brand Name of Foreign liquor and wine Bottled in Origin	Alcoholic Content	No. of bottles of different sizes.	Number of Packages	Quantity in L.P. Litres.

11. Signature of the person in charge of place of export.
12. Designation
13. Date and hour of arrival at Destination.
14. Quantity taken into store.

Collector

Certified that the foreign liquor & wine(BIO) of the description and quantity mentioned below issued in pursuance of this under, pass No.....date has been received.

Signature and Designation of the officer Incharge of the licenced premises.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 877-571+100-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>